तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 236/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/428) बअनवान कानाराम बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

कानाराम

बनाम

सरकार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. एक व दो

आदेश

दिनांक 17.02.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 138/2024 अनवान कानाराम बनाम तहसीलदार पीपाड़ शहर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 अगस्त 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि खसरा नं. 71 रकबा 1.9012 हैक्टेयर का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि के पास से गैर मुमकिन रास्ता निकलता है, जिसकी चौड़ाई कम हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा बिना अवाप्ति प्रक्रिया अपनाये तथा बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 236/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/428) बअनवान कानाराम बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुआवजा दिये रोड़ को चौड़ा किया जा रहा है तथा अपीलांट की खातेदारी भूमि मे सड़क निकाल रहे है। 2020(1) आर.आर.टी. 425 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि बिना सम्यक विधिक प्रक्रिया अपनाये एक व्यक्ति को उसकी संपति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट्स विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए रोड़ निकालने पर आमादा है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी उसके पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 अगस्त 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे बिना अवाप्ति प्रक्रिया अपनाये अपीलांट की भूमि में से सड़क निर्माण नहीं करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर पूर्व में बनी सड़के के स्थान पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा सन् 2004 में अपनी भूमि में सें कुछ भूमि का संपरिवर्तन करवाया, जिसमें उसने सड़क की चौड़ाई 100 फीट मानकर भूमि समर्पित की है। उक्त सड़क वक्त सेटलमेंट से ही 100 फीट चौड़ाई में चली आ रही है। जब मौके पर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो अवाप्ति की कार्यवाही की जरूरत ही नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त सड़क के किनारे स्थित अन्य भूमियों के किसी भी खातेदार द्वारा सड़क की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 236/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/428) बअनवान कानाराम बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चौड़ाई बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। राजस्थान सरकार(राजस्व ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में निर्देश दिये गये है कि जहां निजी खातेदारों/राजकीय भूमि में मौके पर स्थायी रास्ता चल रहा है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। मौके पर कच्ची अथवा पक्की सड़क बन गई है तो उक्त भूमि खातेदारों के खाते में ही रहेगी, राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज रहेगी है। रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर उपलब्ध खाली भूमि पर ही सड़क निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांकः प(2)राज-6/2003/पार्ट/ दिनांक 10.08.2016 के मुताबिक भी जहां राजकीय भूमि/निजी खातेदार की भूमि में सें मौके पर स्थायी रूप से रास्ता चालू है, किंतु राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है तथा पक्की सड़क बनी गई हो तो परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में उक्त भूमि पृथक खसरा में दर्ज होकर खातेदार के खाते में ही रहेगी, किंतु भूमि की किस्म रास्ते के रूप में दर्ज होगी। अपीलांट द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि मौके पर उसकी खातेदारी भूमि में से सड़क चल रही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिपत्र हस्तगत मामले में लागू है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नगरपालिका मण्डल पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर द्वारा जारी वाणिज्यिक पट्टा के साथ सलंग्न ब्लू प्रिन्ट के मुताबिक अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 71 में से रकबा 1333.33 वर्ग गज भूमि का रूपांतरण करवाते वक्त मौके पर 100 फीट चौड़ी रोड़ बतायी है तथा उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 236/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/428) बअनवान कानाराम बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

100 फीट चौड़ी रोड़ मौजूद है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उसी स्थान पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाकर राज्य पक्ष/रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एवं व्यापक जनहित को देखते हुए सड़क निर्माण किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 अगस्त 2024 यथातव रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर